हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

कार्यसूची

सप्तम् सत्र

शुक्रवार, 12 दिसम्बर, 2014/21 अग्रहायण,1936 (शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. प्रश्नोत्तर:

(1) तारांकित:

(i) स्थगित (ii) दिन के लिए	पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

(2) अतारांकित :

दिन के लिए	पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे :

(1) सचिव, विधान सभा, संविधान (एक सौ इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 2014 के अनुसमर्थन के लिए राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त पत्र संख्या:RS.1/35/2014-B दिनांक 25 अगस्त, 2014 के साथ प्राप्त दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

(2) श्री जी0एस0 बाली, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री, हिमाचल प्रदेश सरकार की परिवहन नीति 2014 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

(3) श्री सुधीर शर्मा, शहरी विकास मन्त्री, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना, अधिनियम, 1977(1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 87(1) के अन्तर्गत निर्मित हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्या:टी0सी0पी0-ए(3)-1/2014-I दिनांक 01.12.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 01.12.2014 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

3. <u>सदन की समितियों के प्रतिवेदन :</u>

1. **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2014-15),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी :-

(i) समिति का **33वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 16वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2013-14) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति के **78वें मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2012-13) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 13 वां कार्रवाई प्रतिवेदन (वर्ष 2013-14) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **ब्यास घाटी विद्युत निगम सीमित** से सम्बन्धित है।

2. **श्री कर्ण सिंह, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति, (वर्ष 2014-15),** समिति के **द्वितीय मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2012-13) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 5वां कार्रवाई प्रतिवेदन (वर्ष 2013-14) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **उद्यान विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

4. <u>नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:</u>

(1) **श्री रविन्द्र सिंह**
श्री बिक्रम सिंह

" नागरिक अस्पताल देहरा एवं देहरा उप-मण्डल के अन्तर्गत अन्य अस्पतालों में आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव से उत्पन्न स्थिति की ओर **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री** का ध्यान आकर्षित करेंगे।"

(2) **श्री सतपाल सिंह सत्ती,**

"जिला ऊना की भभौर साहिब सिंचाई परियोजना के आस-पास से स्वां चैनेलाईजेशन हेतु पत्थर निकालने से परियोजना को हो रहे नुकसान से उत्पन्न स्थिति की ओर **सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री** का ध्यान आकर्षित करेंगे ।"

5. विधायी कार्य :

सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

(i) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि कतिपय लोक कृत्यकारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार के अभिकथनों के बारे में जांच करने हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए लोकायुक्त की नियुक्ति करने के लिए विधि को समेकित और पुन: अधिनियमित करने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त विधेयक, 2014
(2014 का विधेयक संख्यांक 15)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

(ii) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम,1970 (1970 का अधिनियम संख्यांक 17) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014
(2014 का विधेयक संख्यांक 17)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

(iii) **श्री अनिल कुमार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज(संशोधन) विधेयक, 2014
(2014 का विधेयक संख्यांक 12)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।=

6. नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख :

(1) **श्री ईश्वर दास धीमान (36-भोरंज),** धर्मशाला स्थित युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के इनडोर स्टेडियम की बच्चों के लिए निर्धारित समय सारणी में बदलाव करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे।

(2) **श्री सतपाल सिंह सत्ती (44-ऊना),** अजौली-टाहलीवाल सड़क का निर्माण जनहित में शीघ्रातिशीघ्र पूरा करवाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे।

(3) **श्री रिखी राम कौंडल (46-झण्डुता),** गांव बलघाड़, तहसील झण्डुता, जिला बिलासपुर के जंगल में मिले नर कंकाल की पहचान हेतु आवश्यक कार्रवाई करने विशेष उल्लेख करेंगे।

(4) **श्री सुरेश कुमार (55-पच्छाद),** पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से सैर-जगास नामक स्थान पर पैराग्लाईडिंग शुरू करवाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे।

(5) **श्री सुरेश भारद्वाज (63-शिमला),** डॉ0 वाई0एस0 परमार, विश्वविद्यालय, नौणी, जिला सोलन में प्राध्यापको तथा वैज्ञानिकों को सेवानिवृत्ति लाभ उपलब्ध करवाने के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे।

(6) **श्री बलदेव सिंह तोमर (59-शिलाई),** शिलाई विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत कांटी-मश्वा उठाऊ सिंचाई व पेयजल योजनाओं का जनहित में शीघ्रातिशीघ्र निर्माण करवाकर इन्हें जनता को समर्पित करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे।

(7) **श्री रिखी राम कौंडल (46-झण्डुता),** गांव बैहरन, तहसील झण्डुता, जिला बिलासपुर में मवेशी खाने में लगी आग की जांच तथा नुक्सान की भरपाई बारे विशेष उल्लेख करेंगे।

(8) **डॉ0 राजीव सैज़ल (54-कसौली),** विद्युत उप-मण्डल, कण्डाघाट, जिला सोलन के अन्तर्गत गांव कोठी-बाड़ा में जले बिजली के ट्रांसफार्मर को पुन: स्थापित करने तथा इसके साथ लगते अन्य गावों की तर्ज़ पर बिजली की आपूर्ति स्पाटू लाईन से करवाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे।

7. नियम-344 के अन्तर्गत प्रस्ताव:

श्री मुकेश अग्निहोत्री, संसदीय कार्यमन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि:

"यह सदन इस मत का है कि वर्ष 2014 में सभा की निर्धारित न्यूनतम 35 बैठकें न हो पाने के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 4 के प्रचलन को इस वर्ष के लिए निलम्बित किया जाए।"

धर्मशाला-176215 सुन्दर सिंह वर्मा,
दिनांक: 11 दिसम्बर, 2014 सचिव ।

****

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)